संख्या-I/296948/XIII–3/25/10(07)/2022

प्रेषक,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः 13 मई, 2025।

विषयः "ड्रैगन फ्रूट (कमलम) फार्मिंग स्कीम–2025 (मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना : CMRKVY)" के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–1310/CMRKVY-Dragon Fruit/2024–25, दिनांकः 11.09.2024 एवं पत्र संख्याः–2482/CMRKVY-Dragon Fruit/2024–25, दिनांकः 17.02.2025 के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) "कमलम" को बढ़ावा देने हेतु तथा क्लस्टर अवधारणा को अपनाते हुए, नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर, ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) के बगीचों को स्थापित कर, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने एवं कास्तकारों की आय में वृद्धि करने हेतु "ड्रैगन फ्रूट (कमलम) फार्मिंग स्कीम–2025 (मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना : CMRKVY)" के संबंध में संलग्नक–01 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. राज्य के स्थानीय निवासियों को ही प्रस्तावित नीति का लाभ दिया जायेगा तथा एक परिवार को एक ही बार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

2. विभाग द्वारा योजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं मध्यावधि समीक्षा/मूल्यांकन कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित ई संख्या–I/296165/2025, दिनांकः 08 मई, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by
Anand Srivastava
Date: 13-05-2025
11:22:07
(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।

2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मंत्रिपरिषद् विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
8. कुलपति, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी, विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी।
9. कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर, ऊधमसिंहनगर।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, रेशम विभाग, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर, चमोली।
15. निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, हल्दी, ऊधमसिंहनगर।
16. निदेशक, उत्तराखण्ड, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
17. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड उत्तराखण्ड।
18. निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, देहरादून।
19. निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून।
20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, देहरादून।
21. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद्, देहरादून।
22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद्, देहरादून।
23. निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून।
24. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ।
25. प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक।
26. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि.,हल्दी,ऊधमसिंहनगर।
27. उप सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
28. समस्त मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार– द्वारा निदेशक, उद्यान।
29. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
30. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
31. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Mahima
Date: 13-05-2025
15:46:19

(महिमा [illegible])

संयुक्त सचिव।

"संलग्नक–01"

ड्रैगन फ्रूट (कमलम) फार्मिंग स्कीम–2025
(मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना : CMRKVY)

1. **प्रस्तावना :**

ड्रैगन फ्रूट एक उष्णकटिबन्धीय जलवायु वाला कैक्टस वर्गीय फलदार पौधा है। उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल का मैदानी भाग, उधमसिंहनगर एवं जनपद देहरादून के मैदानी भाग एवं पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में 1000 मी0 ऊँचाई के क्षेत्र, इसकी खेती के लिए अनुकूल है। ड्रैगन फ्रूट में विभिन्न विटामिन्स एवं मिनरल्स (Magnesium, Iron, Vitamin-C etc.), फिनॉल, फ्लेवेनॉयड, ऐन्टीआक्सीडेन्ट प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट लो कैलोरी एवं फैट फ्री होता है। ड्रैगन फ्रूट में उपलब्ध प्रचुर पोषक तत्वों के कारण, इसे सूपर फूड भी कहा जाता है। ड्रैगन फ्रूट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्थानीय बाजार में ड्रैगन फ्रूट लगभग रू0 100.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से आसानी से बिक जाता है। एक एकड़ में लगभग 50 कु0 उत्पादन होता है, जिससे लगभग रू0 5.00 लाख तक की प्राप्ति हो सकती है। भारतीय बाजारों में अधिकतर आयातित ड्रैगन फ्रूट उपलब्ध है। भारत में वियतनाम, थाईलैण्ड, मलेशिया आदि से ड्रैगन फ्रूट का आयात किया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत जल्द धनराशि उपलब्ध कराने वाली बारहमासी खेती है। ड्रैगन फ्रूट का बगीचा 03 से 04 सालों में भरपूर उत्पादन देना शुरू कर देता है।

जो लोग कीवी एवं नाशपाती को पसन्द करते हैं, उनको ड्रैगन फ्रूट भी पसन्द आता है। ड्रैगन फ्रूट का फल मीठा एवं क्रन्ची होता है।

2. **औचित्य :**

ड्रैगन फ्रूट की खेती, उत्तराखण्ड में कुछ ही वर्षो से की जा रही है। वर्तमान में राज्य में बहुत कम क्षेत्रफल में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य के मैदानी क्षेत्रों की जलवायु एवं पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन हेतु उपयुक्त है। वर्तमान में जनपद उधमसिंहनगर के कुछ काश्तकारों के द्वारा ड्रैगन फ्रूट के बगीचे स्थापित किये गये हैं, जिनसे वह अच्छी आय प्राप्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यदि काश्तकारों को ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु राज सहायता एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान की जाती है, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती उत्ताराखण्ड के मैदानी क्षेत्रों में (जहां जल का भराव न होता हो) काश्तकारों के लिये वरदान साबित हो सकती है, जिससे काश्तकारों की आय में वृद्धि होने के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होने से उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उत्तराखण्ड राज्य के मैदानी क्षेत्र ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु अनुकूल होने के कारण काश्तकारों के आय का मुख्य साधन हो सकता है। काश्तकारों को ड्रैगन फ्रूट के नवीनतम प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, काश्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान कर एवं राज सहायता से लाभान्वित करने से, ड्रैगन फ्रूट की खेती को

बढ़ावा मिलने की संभावना है। अतः उच्च तकनीक के माध्यम से गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त करने तथा उत्पादकता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

3. **उद्देश्य** :

उत्तराखण्ड में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) स्कीम "कमलम" को बढ़ावा देने एवं क्लस्टर अवधारणा को अपनाते हुए, नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर, ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) के बगीचों को स्थापित कर, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने एवं कास्तकारों की आय में वृद्धि किये जाने हेतु योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:–

i. उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियां का रोपण कर, सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी (Precision Farming) तकनीक अपनाते हुए, ड्रैगन फ्रूट का उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादन करना।

ii. क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए, क्रेताओं को उचित मात्रा में उत्पाद एक ही स्थान पर प्राप्त होने से सुगमतापूर्वक विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करना।

iii. जंगली जानवरों (बन्दर) इत्यादि द्वारा क्षति न पहुँचाने के फलस्वरूप काश्तकारों द्वारा मेहनत से उत्पादित उत्पाद की सुरक्षा।

iv. उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादन से किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

v. स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों का सृजन।

vi. राज्य को ड्रैगन फ्रूट उत्पादन के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाना।

4. **प्रजाति** :

पल्प के रंग के आधार पर ड्रैगन फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, पहला सफेद पल्प और दूसरा लाल एवं गुलाबी पल्प। ड्रैगन फ्रूट की प्रजातियाँ Alice, American Beauty, Bloody Mary, Cosmic Charlie, Costa Rican Sunset, Dark Star, David Bowie, Delight इत्यादि हैं।

5. **फार्मिंग** :

एक एकड़ क्षेत्रफल में लाईन से लाईन 3.00 मी0 एवं पौधे से पौधे की दूरी 2.00 मी0 लगाने पर पौधों को सहारा देने हेतु 666 सीमेन्ट के खम्बे, ऊँचाई लगभग 2.30 मी0 की आवश्यकता होगी। प्रति खम्बा 04 पौधे लगाये जाते हैं, इस प्रकार 2667 पौधों का रोपण किया जायेगा। भारत में मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, अन्डमान–निकोबार में इसकी खेती की जाने लगी है। उक्त राज्यों में लगभग 400 हे0 क्षेत्रफल में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। जिन क्षेत्रों में 1145 से 2550 mm वार्षिक वर्षा होती है एवं औसत तापमान 20 से 29 डिग्री सेल्सियस होता है, उन क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती आसानी से की जा सकती है।

ड्रैगन फ्रूट का रोपण (प्रसारण) स्टेम कटिंग (Stem Cutting) से किया जाता है। मातृ पौधों से फल लेने के बाद 20 से 25 से0 मी0 लम्बी कटिगं प्राप्त की जाती है, जिसे

नर्सरी में पॉलीबैग में लगाकार छायादार स्थान में रख दिया जाता है। लगभग 05 से 06 महिनों में कटिंग में जड़ों का विकास हो जाता है तथा पौधे रोपण के लिये तैयार हो जाते है।

6. <u>प्रति इकाई (01 एकड़) अनुमानित लागत</u> :

योजनान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, निवेशों तथा अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुये 0.40 हे0 (20 नाली) क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन हेतु अनुमानित कुल लागत रू0 8.00 लाख है, जिसका 80 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत अर्थात रू0 6.40 लाख अथवा रू0 4.00 लाख प्रति इकाई राज सहायता प्रदान की जायेगी तथा शेष 20 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत अर्थात रू0 1.60 लाख अथवा रू0 4.00 लाख काश्तकार द्वारा वहन करना होगा।

ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन/अनुदान, 50 नाली (01 हे0) तक की भूमि के क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 क्षेत्रफल तक) को कुल लागत का 80 प्रतिशत अथवा रू0 6.40 लाख, जो भी कम हो, तथा 50 नाली (01 हे0) से अधिक क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल) को कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 4.00 लाख, जो भी कम हो, देय होगा।

क्र.सं.	ड्रैगन फ्रूट (कमलम) उद्यान के स्थापना के मानक एवं विशिष्टियां प्रति एकड़ (0.40 हे0)	व्यय (रू0 लाख में)
1.	भूमि रेखांकन एवं अन्य कार्य	0.12
2.	उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फ्रूट (कमलम) की पौध रोपण सामग्री–2667 पौधे, प्रति पौधा लगभग रू0 75.00, पोल से पोल की दूरी 2.0 मी0, लाईन से लाईन की दूरी 3.0 मी0, 04 पौधे प्रति पोल।	2.00
3.	पौध रोपण हेतु गढ्ढा खुदान कार्य (0.2 मी0 लम्बाई x 0.2 मी0 चौड़ाई, x 0.2मी0 गहराई), 0.3 मी0 ऊँचाई तक गढ्ढा भरान, बंड बनाना एवं पौध रोपण, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन का कार्य (कम्पोस्ट एवं Single Super Phosphate आदि)	0.90
4.	ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना एवं फर्टीगेशन सिस्टम (बाईपास वाल्व, स्क्रीन फिल्टर, वैन्चुरी इन्जेक्टर, प्रेशरगेज, एन0आर0वी0, मेन लाईन और सब मेन लाईन, कन्ट्रोल वाल्व, एयर रिलीज वाल्व, फ्लैश वाल्व, लैट्रल, इन्ड कैप, ड्रिपर/इमीटर्स पर व्यय।	0.44
5.	ड्रैगन फ्रूट के पौधों एवं फलों के बेलों को सहारा देने हेतु 2.30 मी0 लम्बाई, 5×5 इंच के 666 सिमेन्ट के पोल, जो सतह से लगभग 1.80 मी0 ऊँचे होंगे तथा 0.50 मी0 गहराई तक भूमि के अन्दर होंगे, जिनके ऊपरी सिरे पर फलों के बेलों को सहारा देने हेतु सिमेन्ट का छल्ला होगा (व्यास 2 फीट एवं मोटाई 2 इंच), जिसमें 8 ईंच के 4 छेद होंगे। (प्रति पोल अनुमानित लागत रू 400, परन्तु वास्तविक लागत आंकलन के आधार पर निर्धारित होगी)।	2.67
6.	गैल्वेनाईज्ड जी0आई0 वायर एंगिल आयरन आधारित घेरबाड़।	1.77
7.	उर्वरक एवं पौध रक्षा रसायन पर व्यय।	0.10
		8.00

	कुल योगः	

नोट : 1. उपरोक्त मदवार मानकों एवं व्यय लागत में परिवर्तन सम्भव है।
2. बायोफेंसिंग घेरबाड़ की दशा में लागत में तद्नुसार परिवर्तन होगा।

7. **वित्तीय प्रबंधन** :

योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय/देय राज सहायता मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना (CMRKVY) से किया जायेगा, जिसके अंतर्गत आगामी 03 वर्षों हेतु रू0 15.00 करोड़ व्यय अनुमानित है।

8. **अवधि** :

योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक किया जायेगा।

9. **पात्रता** :

i. काश्तकारों के पास सिंचाई सुविधा युक्त 0.10 हे0 से 0.40 हे0 (05 नाली से 20 नाली) ड्रैगन फ्रूट उत्पादन हेतु अनुकूल भूमि (जहां जलभराव की समस्या न हो) होनी आवश्यक होगी।
ii. जल भराव वाले क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जायेगा।

10. **आदान (Inputs)** :

योजनान्तर्गत भूमि विकास, घेरबाड़, उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजाति की रोपण सामग्री, आवश्यक औद्यानिक निवेश (खाद, उर्वरक, कीट/व्याधि नाशक रसायन, ट्रेलिस सिस्टम आदि) एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली इत्यादि से लाभान्वित किया जायेगा।

i. **पौधा** :

काश्तकार, ड्रैगन फ्रूट रोपण हेतु गुणवत्तायुक्त पौधा किसी भी पंजीकृत नर्सरी से प्राप्त कर सकता है।

ii. **भूमि विकास एवं अन्य तैयारी** :

पौध रोपण हेतु भूमि विकास एवं अन्य तैयारियां, काश्तकार, स्वयं अथवा अनुभवी फर्म्स डेवलपर्स के माध्यम से कर सकता है।

iii. **सिंचाई प्रणाली** :

सिंचन सुविधा PMKSY अंतर्गत प्रदान किया जायेगा।

iv. **फर्टीगेशन** :

फर्टिगेशन प्रक्रिया के अंतर्गत उर्वरकों को सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसमें ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम, पोषक तत्वों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। इस तकनीक में उपयुक्त पानी की आपूर्ति बनाए रखते हुए, पोषक तत्वों को पौधों द्वारा कुशलता से अवशोषित किया जाता है।

v. <u>घेरबाड़</u> :

बागवानी की सुरक्षा हेतु यथा संभवः बायोफेंसिंग की जायेगी, क्योंकि यह कीफायती एवं इनवॉयरमेण्ट फ्रेंडली है, परन्तु अपरिहार्यता एवं आवश्यकतानुसार अन्य विधियों से भी फेंसिंग की जा सकेगी।

vii. <u>उर्वरक एवं पौध रक्षा रसायन</u> :

काश्तकार, आवश्यकतानुसार गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं पौध रक्षा रसायन की व्यवस्था पंजीकृत विक्रेताओं के स्टोर/शॉप से स्वयं करेगा।

11. <u>आवेदन</u> :

पात्र लाभार्थी, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगे, ऑनलाईन सुविधा जिसे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सुलभ एवं सुगम कराया जायेगा।

12. <u>योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व</u> :

(अ) <u>कृषक/कृषक समूहों की भूमिका एवं दायित्व</u> :

1. जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा आवेदन स्वीकृति पश्चात, यदि बागान स्थापना, कृषक द्वारा स्वयं की जाती है, तो कृषक अंश धनराशि स्वयं उसके द्वारा व्यय की जायेगी तथा यदि विभाग द्वारा पंजीकृत फर्म द्वारा की जाती है, तो कृषक अंश धनराशि, कृषक द्वारा सम्बन्धित फर्म को देय होगी। लाभार्थी को इस प्रकार, व्यय धनराशि के सत्यापित अभिलेख यथाः बिल्स, बाऊचर्स इत्यादि मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार को उपलब्ध करानी होगी।

2. योजना से स्थापित ड्रैगन फ्रूट बागान की देख-रेख की जिम्मेदारी कृषक एवं सम्बन्धित फर्म (फर्म द्वारा बागान स्थापित होने पर) की होगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारी, समय-समय पर प्रक्षेत्र में भ्रमण कर तकनीकी मार्ग निर्देशन उपलब्ध करायेंगे।

3. लाभार्थी द्वारा योजना का कुल 20 से 50 प्रतिशत (कृषक अंश) का वहन किया जायेगा। कृषक अंश की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं या सहकारिता विभाग की दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत अथवा अन्य किसी सुसंगत योजना से ऋण लेकर की जा सकती है।

4. कृषक/समूहों द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रतिभाग करते हुए निरीक्षणोपरान्त, संयुक्त निरीक्षण आख्या पर हस्ताक्षर करना होगा।

5. कृषक द्वारा स्वयं बागान स्थापना की दशा में बागान संरचना रिपोर्ट कृषक द्वारा तैयार करायी जायेगी। इस कार्य हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्ग निर्देशन एवं सहयोग किया जायेगा।

6. पौध रोपण सामग्री, उद्यान विभाग द्वारा समय-समय पर तय किये गये मानकों एवं पौध गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। उक्तानुसार पौध रोपण सामग्री, स्थापित प्रकिया अनुसार विभाग द्वारा कृषकों को

आवंटित की जायेगी अथवा कृषक इत्यादि स्वयं भी पंजीकृत पौधशालाओं से पौध रोपण सामग्री क्रय कर सकेगा।

7. प्राप्त पौध रोपण सामग्री पर अनुदान भुगतान, बागान स्थापना वर्ष (प्रथम वर्ष) में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 20 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत देय होगा। यदि कृषक इत्यादि द्वारा पौध रोपण सामग्री स्वयं क्रय की जाती है, तो अनुदान, कृषक इत्यादि द्वारा जिन पंजीकृत पौधशालाओं से क्रय किया जायेगा, उसे तथा यदि आवंटन निदेशालय द्वारा प्राप्त होता है, तो भुगतान संबन्धित पौधशाला को किया जायेगा।

(ब) <u>उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व</u> :

1. योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग नोडल विभाग, के रूप में कार्य करेगा।
2. विभाग द्वारा योजना को बढ़ावा देने हेतु प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे।
3. चयनित लाभार्थियों के प्रक्षेत्रों में बागान स्थापना किये जाने हेतु विभाग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्मों का पंजीकरण करेगा। पंजीकृत फर्मों की सूची से लाभार्थी, अपनी इच्छानुसार कार्य किये जाने हेतु फर्म का चयन करेगा।
4. बागान स्थापित करने वाली संस्था/फर्म तथा कृषकों को विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) से मान्यता प्राप्त, उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 2019, उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 2021 द्वारा पंजीकृत नर्सरी/संस्था आदि की जानकारी दी जायेगी, ताकि सम्बन्धित फर्म/संस्था/कृषक, उक्त नर्सरियों/संस्थाओं से गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री प्राप्त कर सके।
5. विभाग द्वारा कृषकों/समूहों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह/मार्ग दर्शन एवं जानकारी यथाः ड्रैगन फ्रूट पौध की प्रजाति के बारे में जानकारी, उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदन पत्र जमा करने आदि में सहायता करना और लाभार्थी कृषकों/समूहों के लिए प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराना भी विभाग का उत्तरदायित्व होगा।
6. चयनित फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत विस्तृत बागान संरचना के मूल्यांकन एवं परीक्षणोपरान्त तथा विभाग की संस्तुति उपरान्त, जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा मुख्यतः कृषकों का चयन, भूमि की उपलब्धता, चयनित किस्म की जानकारी, क्लस्टर अवधारणा के अनुरूप **'पहले आओ–पहले पाओ'** के आधार पर किया जायेगा।
7. चयनित लाभार्थियों के बाग के स्थापना की प्रगति एवं मूल्यांकन, समय–समय पर विभाग द्वारा गठित संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल द्वारा किया जायेगा।
8. नर्सरी पौध की गुणवत्ता/सत्यापन/True to Type प्रजाति का सत्यापन, विभाग

द्वारा शत प्रतिशत आधार पर किया जायेगा।

9. जिन क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट बागान स्थापित किये जाने हैं, उन क्षेत्रों में पौध रोपण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व विभिन्न कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित किये जायेंगे, ताकि कृषकों को उन्नत तकनीकों, प्रजातियों की जानकारी दी जा सके, जिससे कृषक जागरूक होकर प्रजाति का चयन, बाजार की मांग एवं उसकी भूमि का प्रकार, सिंचाई जल की उपलब्धता, भूमि के ढलान इत्यादि को ध्यान में रखकर कर सकें।

10. आवेदक की भूमि से मृदा परीक्षण किये जाने हेतु उद्यान विभाग, कृषि विभाग के समन्वय से कार्य करेगा तथा आवेदक को मृदा जांच आख्या उपलब्ध करायेगा।

(स) <u>ड्रैगन फ्रूट उद्यान स्थापना हेतु चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म की भूमिका एवं दायित्व</u> :

1. विभाग द्वारा चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म/संस्था का दायित्व होगा कि कृषक/समूहों के चयनोपरान्त, उनके सहयोग एवं विभाग के मार्ग निर्देशन में विस्तृत बागान संरचना रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें बगीचे का रेखांकन, पानी की उपलब्धता, ढलान की दिशा एवं ऊँचाई अनुसार प्रजातियों आदि का उल्लेख हो।

2. चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म/संस्था द्वारा उद्यान विभाग के दिशा–निर्देशों एवं कृषक की अनुमति उपरान्त, निर्धारित समय अवधि में ड्रैगन फ्रूट बागानों की स्थापना हेतु आवश्यक कार्य कृषक प्रक्षेत्र पर कराए जायेंगे।

3. योजना के अन्तर्गत चयनित संस्था को ड्रैगन फ्रूट बागान स्थापना हेतु ट्रैलिस सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई सुविधा आदि योजना में दिये गये मानकों के अनुरूप आवश्यकतानुसार व्यवस्था कर स्थापित करना होगा।

4. चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म/संस्था द्वारा संयुक्त निरीक्षण दल में प्रतिभाग करते हुए, मूल्यांकन में सहयोग करना होगा तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या पर हस्ताक्षर करने होंगे।

5. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म को कार्य समाप्ति तथा संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन उपरान्त, मदवार भुगतान किया जा सकेगा।

6. चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म/संस्था द्वारा स्थापित ड्रैगन फ्रूट बागान में निम्न गुणवत्ता के कार्यों की शिकायत मिलने पर इसकी जॉच सक्षम स्तर से कराई जायेगी, यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो सम्बन्धित फर्म/संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. नर्सरी/संस्था/फर्म द्वारा ड्रैगन फ्रूट पौध रोपण सामग्री की प्रजाति से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा पौध रोपण सामग्री के आयात की तिथि, Quarantine Certificate एवं नर्सरी में मातृ वृक्ष प्रखण्ड आदि का पूर्ण विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. सम्बन्धित जनपदों के कृषि विज्ञान केन्द्र संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे तथा बागान स्थापना एवं देख–रेख में कृषकों की सहायता करेंगे। इस कार्य हेतु विभाग, सम्बन्धि कृषि विज्ञान केन्द्र से समन्वय स्थापित करते हुए, उनका सहयोग प्राप्त करेंगे।

(द) <u>उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की भूमिका एवं दायित्व (यदि प0 दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना या अन्य योजना से ऋण लेता है तो ही लागू होगा)</u>

1. योजना के सफल क्रियान्वयन में विभाग की सहायता के लिए बैंक द्वारा जोनल/क्षेत्रीय, मुख्यालय स्तरों पर अधिकारी नामित करना होगा, जो उद्यान विभाग को सहयोग प्रदान करेगा। इस कार्य हेतु सहकारिता विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश शासन स्तर से जारी किये जायेंगे।

2. योजनान्तर्गत कृषकों/समूहों को योजना के मानकों के अनुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अथवा अन्य योजना से ऋण उपलब्ध कराना एवं संयुक्त स्थलीय निरीक्षण समिति के साथ स्थलीय निरीक्षण में प्रतिभाग करना होगा।

3. ऋण प्रदानकर्त्ता बैंक द्वारा यदि स्थलीय निरीक्षण हेतु उद्यान विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी की आवश्यकता हो, तो विभागीय अधिकारियों से मांग की जा सकेगी। मांग प्राप्त होने पर उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु प्रतिभाग किया जायेगा।

13. <u>अनुश्रवण प्रक्रिया</u> :

i. इस स्कीम के पर्यवेक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति (HPC) होगी, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	औद्यानिकी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान के निदेशक या उनके द्वारा	सदस्य

	नामित प्रतिनिधि	
9.	कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	सदस्य
10.	कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी	सदस्य
11.	मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	सदस्य
12.	महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान	सदस्य
13.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
14.	निदेशक, कृषि	सदस्य

यह समिति, स्कीम की किसी भी समय समीक्षा कर सकेगी, परन्तु प्रति अर्द्धवार्षिक आधार पर अपरिहार्य रूप से समीक्षा करेगी, जो कि स्कीम के नियोजन, क्रियान्वयन, प्रगति एवं मूल्यांकन इत्यादि का अनुश्रवण एवं समीक्षा कर सकेगी।

समिति, स्कीम में किसी प्रकार की अस्पष्टता को स्पष्ट करने हेतु सक्षम होगी, स्कीम में किसी प्रकार की कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय ले सकेगी, स्कीम के सरल, सहज एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार का संसोधन इत्यादि करने हेतु निर्णय ले सकेगी।

ii. <u>राज्य स्तरीय निगरानी समिति</u> : राज्य स्तरीय निगरानी समिति, अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में स्कीम की वैधता तक प्रति त्रैमासिक आधार पर बैठक कर, स्कीम के नियोजन, क्रियान्वयन एवं प्रगति का मूल्यांकन एवं समीक्षा करेगी तथा इसके प्रभावी सफलता हेतु सुझाव भी देगी और राज्य स्तर पर प्रस्तुत होने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान कर सकेगी, समिति की संरचना निम्नवत् होगी:—

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9.	महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान	सदस्य सचिव
10.	निदेशक, कृषि	सदस्य
11.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण	सदस्य
12.	मुख्य महाप्रबंधक,राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	सदस्य
13.	प्रबंधक निदेशक, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक	सदस्य

14.	निदेशक, शोध एवं प्रसार, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	सदस्य
15.	निदेशक, शोध एवं प्रसार, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी	सदस्य

iii. <u>जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति</u> : यह समिति, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभावी निगरानी एवं समीक्षा इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगी, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः—

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5.	जिला विकास प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	सदस्य
6.	प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य

14. <u>राज सहायता</u> :

काश्तकारों / फार्म डेवलपर्स को राज सहायता DBT/CBDC/E-RUPI इत्यादि के माध्यम से की जाएगी।

15. **<u>Training & Visual (T & V)</u>** :

योजनान्तर्गत प्रगतिशील काश्तकारों के प्रक्षेत्रों को प्रदर्शन प्रक्षेत्र की भांति विकसित किया जायेगा, जिससे कि उनके विकसित प्रक्षेत्र से प्रेरणा लेकर अन्य काश्तकार भविष्य में लाभान्वित हो सकेंगे एवं कृषक, ड्रैगन फ्रूट की रोपण सामग्री भी उत्पादन करके अतिरिक्त आय अर्जन कर सकते हैं।

16. <u>प्रकीर्ण</u> :

i. <u>निरसन</u> :

क. यह स्कीम, ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए मौजूदा योजना (स्कीम) (यदि कोई हो) का स्थान लेगी।

ख. परन्तु, पूर्व योजना (स्कीम) (यदि कोई हो) के अंतर्गत लंबित देयों का भुगतान, उसके दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

ii. <u>लाभ दुहराव की रोकथाम</u> :

पूर्व योजना (स्कीम) (यदि कोई हो) के अंतर्गत, जिन कृषकों अथवा समूहों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने हेतु, यदि कोई लाभ प्राप्त हो चुका है, तो उसे पुनः वह लाभ, इस स्कीम के अंतर्गत देय नहीं होगा, परन्तु इस स्कीम के अंतर्गत अन्य लाभ देय होंगे।

iii. <u>वसूली एवं पेनाल्टी</u> :

क. जो कोई कृषक अथवा समूह, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि एवं आदानों (Inputs) का दुरूपयोग करेगा, उस सम्पूर्ण धनराशि की वसूली, उससे की जायेगी।

ख. वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि के बराबर ही पेनाल्टी अतिरिक्त रूप से आरोपित की जायेगी।

ग. वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि एवं पेनाल्टी की धनराशि की वसूली, भू–राजस्व की वसूली की भाँति की जायेगी।

घ. डिफॉल्टर कृषक अथवा समूह, भविष्य में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों हेतु अनर्ह घोषित हो जायेगा।

ङ. वसूली एवं पेनाल्टी के संबंध में आदेश, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के स्तर से जारी किया जायेगा।

च. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के आदेश के विरूद्ध अपील, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान को जा सकती है। अपील में पारित आदेश, अंतिम होगा।

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव
अपर सचिव।